शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (1-9), Month: Sep. 2018

खाद्यान समस्याः कारण एवं निवारण

डॉ0 अनूप सिंह सांगवान,
एसो0 प्रो0, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय फरीदाबाद,
हरियाणा, भारत
Email: anupsangwan64@gmail.com

सारांश

किसी भी राष्ट्र का आर्थिक विकास वहां पर उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनो पर निर्भर करता है और मानवीय संसाधनों के लिए आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त व पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए। सो एक राष्ट्र की जनता को रोजी के साथ रोटी देना वहां की सरकार का नैतिक दायित्व बनता है, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि एक कृषि प्रधान देश होते हुए भी भारत में खाद्यान संकट अनुभव किया जाये और यह संकट समाप्त ही न हो। प्राचीन काल में भारत जो सारे विश्व का खाद्यान भण्डार कहा जाता था आज स्वंय अपने खाद्यानों की आपूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों से आयात करने पर मजबूर है। आज भूख के चगुंल मे विश्व की दो– तिहाई जनसंख्या स्थायी रूप से फंसी है और इसमे से एक–तिहाई जनसंख्या भारत की है। भारत मे खाद्य–समस्या को एक पुराना रोग कहा जा सकता है। इसे दूर किए बिना प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय व समानता, आर्थिक विकास आदि बाते निरर्थक प्रतीत होती है। प्रस्तुत लेख में खाद्यान समस्या के कारणों व समाधान के सुझाव के साथ–साथ सरकार द्वारा किए जा रहे परम्परागत। योजनाबद्व उपायों व वर्तमान समय मे किए जा रहे प्रयासों के मूल बिन्दुओ पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे ताकि इस संकट से उभरकर हमारा राष्ट्र भी प्रगतिशाली देशों की पंक्ति में खड़ा होने का गौरव हासिल कर सके व भारत की जनता को स्वास्थ्य व सम्मान जनक जीवन का अवसर प्रदान किया जा सके।

मुख्य शब्द–*आर्थिक विकास , मानवीय संसाधन*

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। विश्व विकास रिपोर्ट (1996) के अनुसार ''सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रीय स्वस्थ्य जीवन के लिए प्रर्याप्त भोजन की उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा की संज्ञा प्रदान की जा सकती है।''

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने खाद्य–सुरक्षा की परिभाषा'' सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनो रूपों में

उपलब्धता के अश्वासन के रूप में की है।''

हमारे यहाँ देश में तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा व बाढ तथा भ्रष्टाचार आदि मे खाद्यानो की समस्या पैदा कर दी है। यद्यपि सात दशकों से सरकार ने इस दिशा में अथक प्रयास किया है जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान की समस्या को काफी हद तक नियन्त्रण में कर लिया गया है परन्तु देश में जनाधिक्य व उत्पादन में सम्भावित वृद्वि न होने के कारण तथा सूखे, बाढ व जमाखोरी जैसी प्रवृतियों की वजह से खाद्यान की कमी महसूस होती रहती है जिससे उनका आयात भी करना पड़ता है। वर्तमान समय में भारत में खाद्यान–संकट परिणात्मक, गुणात्मक, विवरणात्मक और आर्थिक पहलुओ के रूप में विद्यमान है जो निम्न प्रकार से हैः–

1). परिणात्मक पहलूः–

भारत के पास कुल विश्व जनसंख्या का 17 प्रतिशत भाग है जबकि क्षेत्रफल केवल 2.4 प्रतिशत ही पास है व विश्व की कुल आय में हमारी 1.5 प्रतिशत भागीदारी होने से खाद्यानों में तेज गति से वृद्वि होने के परिणाम स्वरूप भी खाद्यानों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता मे कोई खास सुधार नही हो सका है। खाद्य व कृषि संगठन (FAO) के अनुसार एक व्यक्ति को कम से कम 440 ग्राम खाद्यान उपलब्ध होना चाहिए परन्तु हमारे यहाँ अनाज के उत्पादन में कमी, हर वर्ष उत्पादन में उतार–चाढाव, दालों के उत्पादन में कमी व आय की असमानता होने की वजह से यह सब प्राप्त न ही होने पाता है।

2). गुणात्मक पहलूः–

हमारे यहा न केवल मात्रा की दृष्टि से बल्कि पौष्टिक तत्वों की दृष्टि से भी खाद्यान की समस्या है। सन्तुलित भोजन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी होनी चाहिए। परन्तु भारत में लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या को प्रति दिन 2250 कैलोरी युक्त भोजन भी नही मिलता है। इसके प्रमुख कारण जैसे– भारतीय जनता का एक बड़ा भाग मोटे अनाजों जैसे– बाजरा, ज्वार व मक्का का आदि का प्रयोग करता है। दूसरे धार्मिक कारणों से मांस, मछली व अण्डे का प्रयोग न करना, अन्तिम भारत में फल, दूध, घी व सब्जियों का अभाव है लोगों को सन्तुलित भोजन न मिलने से लोगो की कार्यक्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से उनकी आय में कमी आती है परिणामस्वरूप गरीबी को बढावा मिलता है। हमारे यहाँ मात्रात्मक पहलू से भी अधिक गम्भीर गुणात्मक पहलू है जैसे विश्वभूखमरी सूचकांक 2015 के अनुसार, कुल 117 विकासशील देशो मे भारत का 80 वॉ स्थान था व भारत का भूख सूचकांक मान 29 था (24 से 35 सूचकांक गम्भीर दशा को दर्शाता है) भारत की जनसंख्या का 17 प्रतिशत अल्पशोषित है अर्थात हर छः में से एक व्यक्ति इसके साथ ही विश्व मे भूखमरी से ग्रस्त लोगो का एक–चौथाई भारत में निवास करता है।

3). वितरणात्मक पहलूः–

हमारे यहां अन्न की उतनी कमी नही है जितनी की सरकार की अदूरदार्शिता और प्रशासन की कुव्यवस्था के कारण प्रतीत होती है। नौकर शाही में भ्रष्टाचार और व्यापारियो की

चोर बाजारी के फलस्वरूप सरकारी योजनाऐं जैसे अन्न की प्राप्ति, मूल्य–नियन्त्रण एवं बिक्री के सन्दर्भ में सफल नही होने पाती है।

4). आर्थिक पहलूः–

योजनाओं के दौरान हालाकि लोगो की आय में भी बढ़ौतरी हुई है, परन्तु देश में खाद्यानों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई है। इस कारण गरीबों के लिए दोनों समय का भोजन जुटाना कठिन हो गया है। आय की कमी, असमानता व बेकारी की अधिकता की वजह से गरीबो की क्रय शक्ति बहुत कम होती है और वे अपने शारीरिक अस्तित्व के बनाए रखने मे असक्षम पाते है।

भारत मे खाद्य–समस्या के कारणः–

1. **जनाधिक्यः** भारत का जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान है व हमारे यहां पर हर वर्ष 2 करोड़ व्यक्तियों की अतिरिक्त संख्या बढ़ जाती है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या को भेट भरने के लिए खाद्यानों की आवश्यकता होती है तथा खाद्यान उत्पादन में उस दर से वृद्वि नही होने के कारण प्रति व्यक्ति खाद्यान उपलब्धता में कमी होती है।

2. **कृषको द्वारा स्वयं अधिक उपभोग करनाः–** योजनात्मक विकास के दौरान किसानों की भी आय में काफी वृद्वि सम्भव हुई है जिसकी वजह से उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है और अब वे गेहूं व चावल जैसे खाद्यानों का अधिक मात्रा में उपभोग करने लगे है जिससे विपणन अतिरेक में कमी आई है, परिणाम स्वरूप बाजारों में खाद्यानों भी उपलब्धता भी कम हुई है।

3. **प्राकृतिक आपदाऐं एवं अन्न की बर्बादी का होनाः**–भारतीय कृषि मानसून के हाथ में जुआ है कभी सूखा पड़ने, ओलावृष्टि या बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से काफी सारी फसल तबाह हो जाती है व इसके साथ ही एक अनुमान के अनुसार कीड़े, मकौड़े, चूहे, जंगली पशु–पक्षियों के द्वारा किसान की कुल फसल का 15 प्रतिशत हिस्सा नष्ट कर दिया जाता है।

4. **खाद्यानों का अनुचित संग्रहणः**–कई बार व्यापरियों व बड़े किसानो द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के मकसद से अन्नाज का अनुचित संग्रह करके रख लिया जाता है। जिससे बाजार में अन्न की कमी हो जाती है।

5. **व्यापारिक फसलों की ओर रूझानः**–अब किसान अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कपास, जुट, गन्ना, फल व सब्जियों का उगाना ज्यादा पसन्द करते है इससे भी कुल कृषि क्षेत्र में अन्न उत्पादन का क्षेत्र कम हुआ है।

6. **बेरोजगारी व गरीबीः**–भारत मे जनसंख्या की वृद्वि के कारण सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नही होने पाता है परिणाम स्वरूप आय न होने के कारण गरीबी की दशा में उनकी क्रय–क्षमता कम होती है व अपने परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान नही खरीद पाते।

7. **ऐतिहासिक कारणः**–सन 1937 में बर्मा का भारत से अलग होना व 1947 मे भारत –पाक विभाजन के परिणाम स्वरूप अच्छी उपजाऊ जमीन व सिंचित क्षेत्र का काफी हिस्सा इन देशों के पास चला गया है जिससे भी हमारे यहां पर खाद्यान उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा है।

खाधान–संकट के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उठाए कदमः–

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):

भारत में PDS का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओ को सस्ती दरो पर आवश्यक उपयोग वस्तुऐं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। भारत मे इस समय लगभग 5 लाख के करीब उचित दर की दुकानों और राशन की दुकानो के माध्यम से उपभोक्ताओ को आवश्यक उपभोग वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है। भारत मे PDS को खाद्यान उपलब्ध करवाने का काम मुख्य रूप से भारतीय खाध निगम (FCI) द्वारा किया जाता है। निगम एक ओर तो यह निश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिले तथा दूसरी ओर यह निश्चित करता है उपभोक्ताओं को भण्डार से एक सी कीमतों पर खाद्यान उपलब्ध हो सके। फिर भी PDS अलोचनाओं से परे नही है जैसे यह मुख्यतया गेहूं व चावल तक सीमित रही है और मोटे अन्नाजों जैसे– ज्वार, बाजरा व मक्का के वितरण पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, दूसरे इस प्रणाली के लाभ लगभग शहरी क्षेत्रों में ही केन्द्रित रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका अधिक प्रसार नही हो पाया है। तीसरे, सरकार द्वारा बढ़ते हुए पैमाने पर प्रतिवर्ष खाद्यानों की वसूली कर लेने से खुले बाजार में बिक्री के लिए खाद्यानों की पूर्ति कम होने से इनकी कीमतों में वृद्वि हो जाती है। चौथे, PDS को बनाए रखने के लिए सरकार को भारी मात्रा में अनुदान या आर्थिक सहायता देनी पड़ती है। जिससे कर दाताओं पर अनावश्यक भार पड़ता है व उनकी आय में कमी आने से उनकी क्रय–क्षमता में कमी आती है। अन्तिम, उचित दर दुकानों द्वारा भ्रष्ट तरीकों जैसे इन दुकानदारों द्वारा राशन को खुले बाजार में बेचना, राशन कार्ड में झूठी प्रविष्ठिया करना आदि के कारण, PDS से बड़े पैमाने पर अनाज की चोरी होती है।

(2) एकीकृत बाल विकास सेवाऐं (ICDS):

यह कार्यक्रम भारत के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा 1975 में एक केन्द्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। केन्द्र व राज्य सरकार 50:50 प्रतिशत खर्चा वहन करती है, उत्तर–पूर्व राज्यों के लिए केन्द्र 90 प्रतिशत व राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत है। **(ICDS)** पूरकपोषण के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं तथा अनौपचारिक सुविधाऐं प्रदान करता है जैसे पूरक खाना, बीमारियों के खिलाफ प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञों की परामर्श सेवाए, व्यस्क स्त्रियों को स्वास्थ्य व पोषण के बारे में शिक्षा तथा 3–6 वर्ष के बच्चो को अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना। यह विश्व के सबसे बड़े बाल सेवा कार्यक्रमों में से एक है।

(3) दोपहर भोजन योजना (MDM):

इस कार्यक्रम को 1995 मे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलो को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाने हेतु शुरू किया गया। अप्रैल 2008 से **MDM** के अर्न्तगत पूरे देश में सभी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा सर्व शिक्षा अभियान **(SSA)** में शामिल सभी संस्थाओं में प्राईमरी व उच्च प्राईमरी कक्षाओ में पढ़ रहे बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। इस समय

12 लाख स्कूलो के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

ICDS तथा MDM का मूल्यांकन–

यह दोनो की कार्यक्रम सही क्रियान्वन एवं संसाधनों के अभाव के कारण कुपोषण रोकने में असफल रहे है। जैसेः–

→ राज्यों को प्रदान की जाने वाली खाद्यान की मात्रा अपर्याप्त एवं सीमित रही है।

→ अधिकतर स्कूलों मे आवश्यक ढ़ाचां उपलब्ध नही है तथा साफ–सफाई की व्यवस्था भी दयनीय है।

→ बच्चों को प्रदान किए जाने वाले खाद्यानों में आयरन, कैल्शियम, आयोडिन, विटामिन जैसे सुक्षम पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है।

→ इन कार्यक्रमों की असफलता में यहां पर पाया जाने वाला भ्रष्टाचार, झूठे रिकार्ड की वास्तविकता भी है तथा खाने का प्रयोग पात्र बच्चों के लिए न होकर प्रभावी व धनी व्यक्तियों के पशुओ के लिए होता है।

→ **MDM** योजना निजी ठेकेदारो के कब्जे में है जिसकी वजह से भोजन की गुणवता काफी खराब होती है व उसमे पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है। इस खाने का उत्पादन प्रदूषित एवं अस्वच्छ महौल में होता है तथा कई बार यह खाने लायक ही नही होता है।

(4) राष्ट्रीय खाद्य–सुरक्षा अधिनियम (NFSA): 2013

इस अधिनियम का उद्वेश्य देश के सभी नागरिको हर समय पर्याप्त भोजन उपलब्ध करवाने हेतु खाद्यानों को सार्वजनिक विवरण प्रणाली **(PDS)** के माध्यम से तथा अन्य तरीकों से उपयुक्त व्यवस्था करना है क्योकि भूख से, कुपोषण से तथा इनसे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस नियम की मुख्य बातें इस प्रकार से हैः–

→ राष्ट्रीय खाद्य–सुरक्षा अधिनियम 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को **(PDS)** के माध्यम से खाद्यान प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है।

→ अधिनियम के अधीन पात्र परिवारो की शिनाखत राज्य सरकारे करेगी और यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।

→ छः मास से छः वर्ष के बच्चो के लिए अधिनियम में आयु अनुसार समुचित भोजन की गारन्टी दी गई है व इसे स्थानीय आंगन बाड़ी के माध्यम से दिया जाएगा।

→ 6–14 आयु वर्ग के बच्चो को प्रतिदिन दोपहर को एक बार मुफ्त भोजन दिया जाएगा, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले सभी स्कूलों के कक्षा 8वी तक के बच्चो के लिए यह योजना लागू होगी।

→ प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता को स्थानीय आंगनवाड़ी से मुफ्त भोजन दिया जाएगा।

→ अधिनियम के अधीन जिन लोगो को खाधान प्राप्त करने का हक दिया गया है उन्हें

खाद्यान न मिलने की स्थिति में, सम्बन्धित राज्य सरकार से खाद्य–सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हक है।

→ इस विधेयक में तीन अनुसूचिया हैः–अनुसूची 1 में सार्वजनिक प्रणाली की निगर्मन कीमतो की जानकारी दी गई। अनूसूची 2 में दोपहर भोजन प्रणाली, घर ले जाने वाले राशन व अन्य हको के पोषक मानक परिभाषित किए गए हैं। अनूसूची 3 में खाद्य–सुरक्षा बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव है।

देश में व्यापक भूखमरी तथा कुपोषण व अल्पपोषण को देखते हुए **(NFSA)** एक महत्वपूर्ण कदम है। परन्तु यह अधिनियम भी आलोचनाओ के घेरे में है जैसे– इसको लागू करने की लागत बहुत अधिक है। एक अनुमान के अनुसार औसत सहायता 21.50 रूपयें प्रति किलो ग्राम है। दूसरे इसमें चोरी व रिसाव का डर है अन्तिम किन व्यक्तियों को लाभार्थी की श्रेणी में शामिल किया जाए? तथा इन चयन कैसे हो? यह एक समस्या है।

फिर भी राष्ट्रीय खाद्य–सुरक्षा अधिनियम के परिणामस्वरूप सस्ता अनाज प्राप्त होने पर, परिवारों का खाद्यानों पर कुल खर्च कम हो जायेगा और अपनी बची हुई आय को अन्य वस्तुओ की मांग के लिए करेगें, मांग बढ़ने से अर्थ व्यवस्था में निवेश बढ़ेगा जिससे उत्पादन, रोजगार व आय को बढावा मिलेगी जिससे अर्थव्यवस्था विकास के पथ की ओर अग्रसर होगी।

(4) अन्य उपायः–

भारत सरकार ने उपरोक्त योजनाओं के साथ–साथ खाद्यान –समस्या समाधान हेतु कुछ अन्य कदम भी उठाए है व जिनका परिणाम काफी हद तक सराहनीय भी रहा है जो कि निम्न प्रकार से हैः–

(क) जनसंख्या वृद्वि पर नियन्त्रणः– योजनाओं की अवधि के प्रारम्भ से ही सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमो, परिवार नियोजन व जनसंख्या नीतियो के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को शिक्षित एवं प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि खाद्यानो की मांग पर दबाव कम किया जा सके।

(ख) कृषि उत्पादन मे वृद्वि करनाः– सिर्फ दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) को छोड़ लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओ के दौरान सरकार द्वारा खाधान उत्पादन बढ़ाने हेतु बहुफसली कार्यक्रम, सिंचाई व्यवस्था, सस्तीदरों पर ऋण उपलब्ध कराना, खाद, बीज, कीटनाशकों व कृषि यत्रों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण व फसल बीमा आदि स्कीमें भी कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहयोगी सिद्व हो रही है 1966–69 के दौरान होने वाली ''हरित–क्रान्ति'' इस सब का परिणाम कही जा सकती है।

(ग) खाद्यानों का आयातः– आवश्यक खाद्यानों की कमी को पूरा करने व इनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि पर नियन्त्रण हेतु सरकार समय–समय पर इनका आयात भी करती है तथा जरूरी खाद्यानों के निर्यात पर प्रतिबन्ध भी लगाती है।

(घ) साख–नियन्त्रणः– भारतीय रिजर्व बैंक जरूरत के समय आवश्यक खाद्यान वस्तुओं की होने वाली कीमत वृद्वि को रोकने हेतु अपनी गुणात्मक साथ–नियन्त्रण नीति के माध्यम से

व्यापारियों व स्टोरियों को दिए जाने वाले ऋणों की सीमा पर नियन्त्रण लगाता है।

(ड) रोजगार–प्रेरक कार्यक्रमः– प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक सरकार ने देश मे फैली गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमो जैसे स्वर्ण जयंति ग्रामीण एवं शहरी स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, मनरेगा, स्टार्ट अप इन्डिया, स्टेन्ड–अप इन्डिया तथा कौशल विकास योजनाओं द्वारा लोगो को रोजगार देकर उनकी गरीबी दूर करने व आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का सही दिशा में प्रयोग किया जा सकेगा और एक शक्तिशाली एवं उन्नत भारत का निर्माण किया जा सके।

सुझाव–

यद्यपि भारत में खाद्य नीति लम्बे समय से निरर्थक रही है क्योंकि अधिकतर नीतियां या तो वैचारिक मुददों के आधार पर बनाई गई या पूर्व नीतियों के आधार पर देश का सबसे बड़ा सुरक्षा कार्यक्रम –सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**PDS**) रिसाव, भ्रष्टाचार, खराब वितरण प्रणाली, स्वच्छता की कमी, महिला सशक्तिकरण आदि कमियों से घिरा रहा है। यद्यपि खाद्य–सुरक्षा अधिनियम (**NFSA**) 2013 द्वारा विवरण व्यवस्था में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया है। देश मे खाद्य–सुरक्षा के सही मायने मे लक्ष्य को प्राप्त करने मे निम्नलिखित सुझाव मददगार साबित हो सकते हैः–

→ सरकार को विविध आहार जैसे– अनाज, दालें, फलों सब्जियां व मांस की खपत को तत्काल बढ़ावा देना चाहिए। बुनियादी ढाचा, चिकित्सा केन्द्रों और समाचार–पत्रों की उपलब्धता विविध आहार की खपत में सुधार करने में सहायक हो सकते है।

→ पोषण सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने हेतु हमें सांस्कृतिक और स्थानीय भोजन सम्बन्धित आदतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही खाद्य नीति में विकेन्द्रीकरण से अभिशासन और उत्तरदायित्व पर अधिक जोर दिया जा सकता है।

→ हम स्थानीय उपभोग के आधार पर सब्जी, फलों, दूध, अन्डे, मछली और मांस आदि के उत्पादको को प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं।

→ शीत'–भण्डारण की अधिकतम व्यवस्था करके वितरण और उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर पौष्टिक आहार को सभी तक पहुंचाया जा सकता है।

→ अनिश्चित आय, स्वास्थ्य या जलवायु सम्बन्धि आपदाओं के सम्पर्क में आने वाले लोगों के लिए नकद हस्तान्तरण किया जा सकता हैं। इससे निम्नस्तरीय खाद्य उपभोग की समस्या से निपटा जा सकता है व परिवारों को अधिक पौष्टिक और विविध आहार उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खातो से प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण पर नजर रखी जा सकती है।

→ कुपोषण के अलावा भारत में मध्यम व उच्च वर्ग मोटापे और सक्ष्म–पोषक तत्वों की कमी वाले रोगों से पीडित है सो फैटी व तैलीय खाद्य पदाथों पर टैक्स लगा कर सरकार इस

सम्बन्ध में दखल कर सकती है।

→ खाद्य प्रदार्थों के उत्पादन में रसायनों के कम उपयोग और उनके सरंक्षण से भी खाद्य –सुरक्षा की जा सकती है। इसके लिए हमें नुकसान और भोजन की बर्बादी कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने की जरूरत है।

→ अलग–अलग मन्त्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे खाद्य–समस्या के निराकरण हेतु सभी एक साथ मिलकर काम करें।

कृषि को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। स्वतन्त्रता के बाद सभी सरकारों ने कृषि विकास सम्बन्धी सुधारो के अनेक प्रयास किए है हरित–क्रान्ति के परिणाम स्वरूप देश अन्न उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर तो बन गया लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और कमर तोड़ महंगाई के कारण किसानो की आर्थिक स्थिति में कुछ खास सुधार नही हो सका। यद्यपि सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगना करने व खाद्य–समस्या के समाधान के लिए आधारभूत अवसरंचना के विकास पर बल दे रही है। सुखे के प्रकोप से बचने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ–साथ वर्षा जल के संग्रहण हेतु 'वाटरसेड' परियोजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर तालाबो का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को समय से पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए ब्लाक–स्तर पर बीज संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई है। खाद्यानो के संस्करण हेतु ब्लाकस्तर पर गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह फलों एवं सब्जियों को सरंक्षित रखने हेतु शीत –ग्रह एवं शीत श्रृंखला (अब तक 7645) का निर्माण किया जा रहा है। किसानों को उपज का सही मूल्य दिलानें और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) और ग्रामीण कृषि बाजार की स्थापना की गई है। देश भर में 42 मेगा फूड–पार्को की स्थापना की जा रही है। ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक स्वाभलम्बत हेतु बैंको से अनुदान एवं ऋण सहायता का प्रबन्ध किया गया है। देश में पहली बार खाद्य–प्रसस्करण मन्त्रालय का गठन किया गया है। खाद्य– प्रसस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बजट 2018–19 मे इसके लिए 1400 करोड़ आबंटित किए है। इसके अतिरिक्त कृषि आय बढ़ाने के लिए डेयरी पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने प्रशिक्षण, सहायता और अनुदान की व्यवस्था की है। सरकार कृषि के उत्पादन और किसानो के आर्थिक उन्नयन के लिए अनेक योजनाओं का संचालन कर रही है। जरूरत है कि सरकारी योजनाओ का धरातल पर ईमानदारी से क्रियान्वन किया जा सके।

सन्दर्भ

1 ए.एन. अग्रवाल व एम.के. अग्रवाल, ''भारतीय अर्थ व्यवस्था'', न्यूऐज इन्टरनेशनल पब्लिशरस, नई दिल्ली।

2 दत्त एव सुन्दरम, ,''भारतीय अर्थव्यवस्था'' हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।

3 अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य–नीति संस्थान, विश्व भूखमरी सुचकांक–2015 (वाशिंगटन, 2015)

4 कुरूक्षेत्र, अगस्त 2018, अंक – 10

5 महेन्द्र कुमार गर्ग, 'भारतीय आर्थिक नीति'', लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी (हरियाणा)

6 वी0.के0. गुप्ता, 'कृषि अर्थ शास्त्र', वृंदा पब्लिकेशनसन प्रा0.लि0. दिल्ली।

7 एस0.के0.मिश्रा एवं वी0.के0.पूरी, ''भारतीय अर्थव्यवस्था'', हिमालय पब्लिशिंग हाऊस नई दिल्ली।

8 योजना, जुलाई – 2017, अंक – 07।